

क०/डी०एम०/1650

जबलपुर दिनांक 27/6/20

प्रति,

कार्यपालक यंत्री,
कृषि जल संसाधन विभाग,
जबलपुर

विषय :- जबलपुर जिले के अन्तर्गत हिरन मीडियम टैंक प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु 54.87 हेक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-05/2019-FC date 10/07/2019.

विषयान्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-05/2019-FC date 10/07/2019 से प्राप्त सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है।

इस अनुक्रम में लेख है कि हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना के बदले में प्राप्त गैर वन भूमि पर ग्राम तौरी प०ह०न० 0008, खसरा क्रमांक 01 रकबा 79.54 हे० में से 55.00 हे० में वृक्षारोपण संभव न हो सकने के कारण वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 51, रकबा 55.00 में वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि, एन.पी.सी. की राशि का निम्नानुसार मॉग पत्र जारी किया जाता है :-

मॉग पत्र (हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना)				
भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वन भूमि :- 54.87 हेक्टेयर				
क्रमांक	परियोजना मद	दर	वन भूमि	राशि
1	N.P.V.	6,26,000.00	54.87	3,43,48,620.00
2	Plantation	उपलब्ध कराई गई गैर वन भूमि ग्राम तौरी प०ह०न० 0008, खसरा क्रमांक 01 रकबा 79.54 हे० में से 55.00 हे० में वृक्षारोपण न हो सकने के कारण वन भूमि पी.एफ. 51 पर वृक्षारोपण किया जावेगा। इस पर निम्नानुसार राशि प्रस्तावित है :-		
			वन भूमि पी.एफ. 51 पर वृक्षारोपण व्यय (55000 पौधे)	1,68,14,250.00

ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in/>) पर कुल जमा की जाने वाली राशि :-

N.P.V.	Plantation	Total
3,43,48,620.00	1,68,14,250.00	5,11,62,870.00

भारत शासन द्वारा अध्यारोपित की गई शर्त के अनुसार गैर वन भूमि के सीमांकन एवं फेंसिंग / मुनारा निर्माण आवेदक संस्थान द्वारा किये जाने के उपरांत गैर वन भूमि आधिपत्य

(Handwritten signature and date 27/6/2020)

में ली जाना है। अतः कृपया उपलब्ध कराई जा रही गैर वन भूमि सीमांकित व फेंसिंग कराकर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वृक्षों के विदोहन व्यय की राशि की मांग पृथक से जा रही है। यह राशि राजस्व मद में जमा की जावेगी।

वन मंडल अधिकारी
सामान्य वन मंडल जबलपुर
जबलपुर दिनांक 27/6/20

पृ. क्र०/डी०एम०/1651

प्रतिलिपि :- 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक मध्य वन वृत्त जबलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. उपवनमण्डलाधिकारी सिहोरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वन परिक्षेत्र अधिकारी पनागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वन मंडल अधिकारी
सामान्य वन मंडल जबलपुर